# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 15/338**

गोविन्द लाल आत्मज श्री गंगाराम जाति धाकड निवासी ग्राम मेहराणा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

**बनाम**

1. गुलाब बाई पुत्री श्री गंगाराम जाति धाकड निवासी मेहराणा तहसील दीगोद हाल ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां ।
2. बनवारी लाल आत्मज गंगाराम जाति धाकड निवासी मेहराणा तहसील दीगोद ।
3. चन्द्रकान्ति पुत्री श्री गांगराम पत्नी बंशीलाल जाति धाकड निवासी मेहराणा हाल खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. दाखां बाई पुत्री गंगाराम पत्नी रामकुंवार जाति धाकड निवासी पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 25.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम महाराना तहसील दीगोद जिला कोटा में 02 किता की 2.44 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी कम 01 का 2/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 का 3/5 हिस्सा है । उक्त भूमि पूर्व में वादिनी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 4 के पिता श्री गंगाराम जी के खाते में

दर्ज चली आ रही थी । गंगाराम की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 से 4 व बद्रीलाल के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था । वादिनी गंगाराम की जायन्दा पुत्री है किन्तु वादिनी के अलावा सभी वारिसान के नाम भूमि दर्ज कर दी गई और वादिनी का नाम दर्ज होने से रह गया जबकि वादिनी व प्रतिवादी कम 01 से 4 व बद्रीलाल वारिसान हैं और उक्त भूमि में सभी का 1/6 – 1/6 हिस्सा है । वादिनी भी अपना 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है । ब्रदीलाल ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी कम 01 के पक्ष में रिलीज कर दी । वादग्रस्त आराजी वादिनी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादीगण के साथ उनका समान हक हिस्सा है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी को प्रतिवादीगण कम 1 से 4 के साथ खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से वादिनी को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी कम 01 को 2/6 हिस्से का व प्रतिवोदी कम 2, 3 व 4 को 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । वादिनी को प्राप्त अपने हिस्से की भूमि वादिनी के अलग खाते में दर्ज की जावे तथा लगान कायम किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा वादिनी को कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 02 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी है। अपीलान्ट को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही सीपीसी की पालना किये बिना उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.08.2015 को न्यायालय में अन्य प्रकरण में उपस्थित होने और अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देने पर हई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत में पक्षकारों की तामील किये बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णित किया है और वादिनी को सहखातेदार घोषित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि एक अन्य प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है और यही विवादित आराजी राजीनामे के अनुसार रेस्पोडेन्ट कम 02 बनवारी और अपीलान्ट के मध्य विभाजित हो चुकी है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी उपस्थित हुई है । प्रतिवादी कम 01 और 02 भी उपस्थित हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी डिक्री किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । इस प्रकार सीपीसी की पालना नहीं की गई है । विद्धान् अभिभषक रेस्पोडेन्ट ने एक अन्य प्रकरण संख्या 63/2011 ओर 92/2011 निर्णय दिनांक 26.09.2019 की प्रति फर्द के साथ पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी और इस प्रकरण में वादग्रस्त आराजी समान है । इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.09.2019 को राजीनामा स्वीकार करते हुए डिक्री किया है और अपीलान्ट गोविन्द लाल और रेस्पोडेन्ट कम 02 बनवारी लाल के मध्य वादग्रस्त आराजी के विभाजन के बाबत् आदेश पारित किया है । ऐसी स्थिति में चूँकि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश भी दिया जाना उचित समझते हैं कि प्रकरण संख्या 63/2011 और 92/2011 जो कि दिनांक 26.09.2019 को बरूए राजीनामा इसी वादग्रस्त आराजी के बाबत् डिक्री किया गया है उसमें पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में भी पुनः पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, सीपीसी की पालना में निर्णय पारित करें ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए पूर्व में प्रकरण संख्या

63/2011 व 92/2011 में दिनांक 26.09.2019 को बरूए राजीनामा पारित डिक्री के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा